न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 23 सन 2023

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र राममूर्ती जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्र राममूर्ती जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

2. सुमन देवी पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/06/2026

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 51/47 के ख.न. 528/1 की 10.3100 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी सं. 1 अकेला 389/1031 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 अ केला 389/1031 हिस्सा, एवं तरतीबी अप्रार्थीया सं. 2 अकेली 253/1031 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 51/47 की कुल तादादी 10. 3100 हैक्टर भूमि की पैमाईश हेतु प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजस्व नोहर को पेश किया गया एवं तहसीलदार राजस्व नोहर ने पटवारी हल्का खुईया से रिपोर्ट लेकर पैमाईश हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया एवं पटवारी हल्का खुईया दिनांक 24/06/23 को श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर की पालना में रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के ख. न. 528/1 की 10.3100 हैक्टर भूमि सीमा ज्ञान मुन्तकिल चिन्हो से जरीब चलाकर करवाया गया। एवं ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष सीमाज्ञान करवाया जाकर मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये।

रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के ख.न. 528/1 की 10.3100 हैक्टर भूमि की पैमाईश की जाकर प्रार्थीगण को निशानत दिया जाकर सीमा चिन्हो को मौजिज व्यक्तियों के समक्ष निशानात करवाये गये। एवं उपरोक्त निशानत को पड़ौसियान द्वारा मिस्मार एवं नष्ट किये जाने पर उतारू हो रहे है तथा यदि पटवारी हल्का खुईया द्वारा दिये गये सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया गया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा इसलिए प्रार्थीगण रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 51/47 के ख.न. 528/1 की 10.3100 हैक्टर भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने के माननीय न्यायालय से आदेश पारित करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सायल ने गैरसायल स0 1 को कई दफा कहा की उक्त भूमि की पैमाईश की जाकर पत्थरगढ़ी कायम कर देवे तो गैरसायल स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि की पुख्ता सीमा चिन्ह जाकर पत्थरगढ़ी कायम करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी स0 1 का जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है की पैमाईश करवाई जाकर निशानदेही करवाई गई थी के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 51/47 के ख.न. 528/1 की 10.3100 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी सं. 1 अकेला 389/1031 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 अ केला 389/1031 हिस्सा, एवं तरतीबी अप्रार्थीया सं. 2 अकेली 253/1031 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

सायलान/प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायलान का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायलान के कथनों की पुष्टि होती है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायलान का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायलान की भूमि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 51/47 के ख.न. 528/1 की 10.3100 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी सं. 1 अकेला 389/1031 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 अ केला 389/1031 हिस्सा, एवं तरतीबी अप्रार्थीया सं. 2 अकेली 253/1031 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है की नियमानुसार सभी पक्षकारान एवं उक्त भूमि के चिपते सभी पड़ौसी काश्तकारों को नोटिस दिया जाकर सभी की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर